31.3.23 पत्रावली पेश हुई। TOOR की ओर से तामील Report
प्राप्त हो गई है तथा अब कोई कार्यवाही
शेष नहीं है अतः पत्रावली फैसल शुदा
की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 27/2021

तारीख दायरा 02.03.2021

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीनाा
2. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति मीना।
3. मोतीलाल पुत्र भवरलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

— वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 85 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 68 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद हाल मुकाम हींगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा।
3. कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण) दिनांक :— 05.01.2022

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादी सं. 2)

2 रु कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है तथा जिनका पारिवारिक शजरा वाद पत्र में वर्णित है। माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील

सत्यापित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नई 137 के खसरा नं. 133 की 0.72 है0, खसरा नं. 134 की 0.01 है0, खसरा नं. 135 की 0.64 है0, खसरा नं. 136 की 0.08 है0, खसरा नं. 137 की 0.34 है0, खसरा नं. 146 की 0.37 है0, खसरा नं. 147 की 0.14 है0, खसरा नं. 148 की 0.02 है0, खसरा नं. 149 की 0.01 है0, खसरा नं. 150 की 0.17 है0, खसरा नं. 151 की 0.63 है0, खसरा नं. 152 की 0.02 है0, खसरा नं. 31 की 0.04 है0, खसरा नं. 32 की 0.04 है0, खसरा नं. 33 की 0.90 है0, कुल किता 15 की कुल 4.13 हैक्टर आराजीयात स्थित है। उक्त आराजीयात प्रतिवादी कम 3 सरकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद के नाम से दर्ज है, जिसके पुराने खसरा नं0 24 रकबा 17 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा नं0 29 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल 2 किता की 25 बीघा 10 बिस्वा आराजी स्थित रही है, जिसमें खसरा नं0 24 के 2 बटा नम्बर बनकर 24/1 व 24/2 बने हैं, जिसका मिलान क्षेत्रफल साथ संलग्न है जो वादीगण के पिता भंवरलाल व दादी मथुराबाई के 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 उनकी माता गंगाबाई के 1/2 हिस्सा आराजी खाते दर्ज रही है। नकल सम्वत 2031 से 2034 साथ संलग्न है।

वादी के पिता भंवरलाल व दादी मथुराबाई तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 तथा माता गंगाबाई द्वारा अपनी आराजी का विकास कराने के लिए तथा आराजी में सिंचाई की व्यवस्था हेतु कुआं खुदवाया था, जिसके लिए रूपयों की जरूरत होने से उन्होंने उक्त आराजी को प्रतिवादी नं0 3 के यहां रहन रखकर राशि प्राप्त की थी तथा कुआं खुदवा लिया गया था। लेकिन तत्कालीन विषम परिस्थितियां हो जाने व अकाल आदि पड जाने व कमाई का अन्य कोई साधन नहीं होने के कारण वादीगण के पिता व दादी तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 उनकी माता उक्त रहन राशि को जमा कराने में असफल रहे जिससे प्रतिवादी कम 3 द्वारा राजस्थान सहकारी अधिनियम 1965 की धारा 106/117–118 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आम नीलामी में अन्य केताओं के अभाव में प्रतिवादी नं0 3 द्वारा अपनी राशि की एवज में खसरा नं0 24 की 17 बीघा 2 बिस्वा व खसरा नं0 29 की 8 बीघा 8 बिस्वा कुल 25 बीघा 10 बिस्वा का 23/32 वां हिस्सा कय कर लिया, जिसका नामान्तरण खुलाने के लिए तहसील में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नामान्तरण सं0 76 दिनांक 13.12.1978 से नामान्तरण खोला गया। नामान्तरण 23/32 हिस्से का होना था, लेकिन राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश गलती से सम्पूर्ण आराजी का ही नामान्तरण प्रतिवादी नं0 3 के नाम दर्ज हो गया तथा उक्त वादग्रस्त आराजीयात हमेशा से ही वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 मौके पर पूर्वजों के समय से शांति पूर्वक काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में भी स्वयं वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 का ही कब्जा काश्त है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 3 का नाम दर्ज होने से वादीगण व प्रतिवादी नं0 1 व 2 को अपने अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने व सरकार से मिलने वाली मुआवजा व अन्य सहायता राशि में भी वंचित होना पड रहा है, जिससे वादीगण को काफी आर्थिक व मानसिक क्षति भी हो रही है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

वादीगण व प्रतिवादीगण के पास रूपयों की व्यवस्था होने पर वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी कम 3 से लिया गया ऋण राशि को जमा करके रसीद प्राप्त कर ली तथा जिसके उपरान्त प्रतिवादी नं0 3 के प्रधान कार्यालय कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 कोटा द्वारा दिनांक 04.03.2020 को कमांक 11295–300 दिनांक 04.03.2020 को संशोधित खातेदारी हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया और पूर्व खातेदारान के हक में खातेदारी दर्ज करने की अपनी सहमति देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जिसके बाद प्रतिवादी नं0 3 के द्वारा भी दिनांक 03.02.2021 को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। जिसके बाद वादीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय सांगोद के यहां उक्त दोनों अनापत्ति प्रमाण पत्र ले जाकर उसके आधार पर वादग्रस्त आराजी को वापस वादीगण के पिता भंवरलाल व दादी मथुरीबाई के स्थान पर वादीगण का तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में नामान्तरण दर्ज करने का निवेदन किया तो तहसीलदार महोदय द्वारा मौखिक रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कहकर न्यायालय से घोषणा करवाने के लिए कहकर नामान्तरण खोलने में अपनी असमर्थता जाहिर की। ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादी नं0 3 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी को वापस वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 व 2 का 1/2 हिस्सा की अपने अपने हक में घोषणा करवावे। जिसके लिए उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही वादीगण की दादी मथुराबाई व पिता भंवरलाल तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता गंगाबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वादीगण व प्रतिवादी कम 1 व 2 ही विधिक वारिस होने से वादीगण के हक में 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में 1/2 हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है। जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है।

अतः माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नई 137 के खसरा नं. 133 की 0.72 है0, खसरा नं. 134 की 0.01 है0, खसरा नं. 135 की 0.64 है0, खसरा नं. 136 की 0.08 है0, खसरा नं. 137 की 0.34 है0, खसरा नं. 146 की 0.37 है0, खसरा नं. 147 की 0.14 है0, खसरा नं. 148 की 0.02 है0, खसरा नं. 149 की 0.01 है0, खसरा नं. 150 की 0.17 है0, खसरा नं. 151 की 0.63 है0, खसरा नं. 152 की 0.02 है0, खसरा नं. 31 की 0. 04 है0, खसरा नं. 32 की 0.04 है0, खसरा नं. 33 की 0.90 है0, कुल किता 15 की कुल 4.13 हैक्टर आराजीयात में प्रतिवादी नं0 3 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पूर्ववत खातेदार के हक में तथा पूर्व खातेदार वादीगण की दादी मथुराबाई व पिता भंवरलाल व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता गंगावाई की मृत्यु की घोषणा करते हुए उपरोक्त आराजी के 1/2 हिस्से की वादीगण के हक में एवं 1/2 हिस्से की प्रतिवादी नं0 1 व 2 के हक में खातेदारी घोषणा की जाकर घोषणा की डिकी सादिर पारित फरमायी जावे तथा उक्त घोषणा के अनुकम में प्रतिवादी नं0 3 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाकर अमल दरामद किये जाने के सादिर आदेश पारित फरमावें।

प्रमाणित प्रतिलिपि

प्रतिलिपि अधिकारी, सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

कोर्ट फी Rs.2 भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी सं. 1 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वकील श्री अमित पांचाल द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 3 सचिव कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 द्वारा संशोधित खातेदारी हस्तान्तरण प्रमाण पत्र क्रमांक/रिकवरी/सत्र/11295-300 दिनांक 4.3.2020 प्रस्तुत किया जिसके अनुसार श्री भंवरलाल पुत्र गोविन्द, मथरी बाई बेवा गोविन्द, रामकल्याण, रामपाल पुत्र भैरूलाल मीणा, गंगा बाई बेवा भैरूलाल मीणा द्वारा बैंक की राशि जिसकी वसूली के लिए विवादित भूमि बैंक द्वारा क्रय की गई थी, समस्त राशि मय ब्याज एवं अन्य लेनदारियों से भूमि वापस प्राप्त करने हेतु बैंक मेंज मा करवा दिये हैं। अतः बैंक के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 12.08.1997 के निर्णयानुसार उक्त विवादित भूमि वापस पूर्व के खातेदारों के नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद अधिवक्ता उभयपक्षकारान ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की। प्रकरण में इकबाली जवाब प्रस्तुत होने के कारण तनकी कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 शाखा सांगोद के संशोधित खातेदारी हस्तान्तरण प्रमाण पत्र, वादीगण की दादी मथुराबाई व पिता भंवरलाल व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की माता गंगाबाई के मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि-

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नई 137 के खसरा नं. 133 की 0.72 है0, खसरा नं. 134 की 0.01 है0, खसरा नं. 135 की 0.64 है0, खसरा नं. 136 की 0.08 है0, खसरा नं. 137 की 0.34 है0, खसरा नं. 146 की 0.37 है0, खसरा नं. 147 की 0.14 है0, खसरा नं. 148 की 0.02 है0, खसरा नं. 149 की 0.01 है0, खसरा नं. 150 की 0.17 है0, खसरा नं. 151 की 0.63 है0, खसरा नं. 152 की 0.02 है0, खसरा नं. 31 की 0.04 है0, खसरा नं. 32 की 0.04 है0, खसरा नं. 33 की 0.90 है0, कुल किता 15 की कुल 4.13 हैक्टर आराजीयात में वादीगण प्रभुलाल, कन्हैयालाल, मोतीलाल पुत्रान भंवरलाल को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल एवं प्रतिवादी सं. 2 रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुकम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक

प्रमाणित प्रतिलिपि

[illegible] प्रतिलिपिकार, [illegible]

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(अंजना सहरावत)
सांगोद (कोटा)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

फर्द डिकी मुकदमात इब्तादाई

आर.रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 27 / 2021 तारीख दायरा 02.03.2021

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र भंवरलाल जाति मीना।
2. कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल जाति मीना।
3. मोतीलाल पुत्र भवरलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।

– वादीगण

बनाम

1. रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 85 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल उम्र 68 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम डोबडा तहसील सांगोद हाल मुकाम हींगोनिया तहसील कनवास जिला कोटा।
3. कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सांगोद।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान। – प्रतिवादीगण

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE FOR COPYING FEES ONLY

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट 1955</u>

उपस्थित :–

श्री सुशील कुमार शर्मा (वकील वादीगण)

दिनांक :– 05.01.2022

श्री अमित पांचाल (वकील प्रतिवादी सं. 2)

आज यह मुकदमा वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मुझ सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) व हाजरी श्री सुशील कुमार शर्मा मिन जानिब मुदई रूबरू श्री ..... मिन जानिब मुददायल पेश होकर आदेश दिया जाता है कि–

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखंड अधिकारी, सांगोद

प्रतिलिपिकर्ता (कोटा)

माल ग्राम डोबडा पटवार हलका दीगोद तहसील सांगोद जिला कोटा के खाता संख्या नई 137 के खसरा नं. 133 की 0.72 है0, खसरा नं. 134 की 0.01 है0, खसरा नं. 135 की 0.64 है0, खसरा नं. 136 की 0.08 है0, खसरा नं. 137 की 0.34 है0, खसरा नं. 146 की 0.37 है0, खसरा नं. 147 की 0.14 है0, खसरा नं. 148 की 0.02 है0, खसरा नं. 149 की 0.01 है0, खसरा नं. 150 की 0. 17 है0, खसरा नं. 151 की 0.63 है0, खसरा नं. 152 की 0.02 है0, खसरा नं. 31 की 0.04 है0, खसरा नं. 32 की 0.04 है0, खसरा नं. 33 की 0.90 है0, कुल किता 15 की कुल 4.13 हैक्टर आराजीयात में वादीगण प्रभुलाल, कन्हैयालाल, मोतीलाल पुत्रान भंवरलाल को 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल एवं प्रतिवादी सं. 2 रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ भैरूलाल को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार यथावत रहेगा।

(अंजुम [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

(अंजुम [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, सांगोद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगोद ,कोटा

क्रमांक–2022/1387 दिनांक– 9/5/22

तहसीलदार,

तहसील सांगोद।

विषयः– इजराय संख्या ५१/२२ उनवान प्रभुलाल बनाम रामकल्याण मुताबिक निर्णय पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मिसल नं0 27/2021 उनवान प्रभुलाल बनाम रामकल्याण के न्यायालय में दिनांक 5.1.22 को निर्णय–डिक्री पारित किया जा चुका है। पत्र के साथ पुनः निर्णय डिक्री की छाया प्रति भिजवायी जा रही है। अतः प्रकरण में मुताबिक निर्णय (अगर किसी अन्य उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश न हो) आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.6.22 से पूर्व पालना करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–

निर्णय–डिक्री की छाया प्रति

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला– कोटा
उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

42/22

<u>कार्यालय तहसीलदार (भू0 अभि0) सांगोद जिला कोटा</u>

क्रमांक / LR / 2023 / 785 दिनांक– 16/03/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सांगोद।

विषयः– न्यायालय से जारी डिक्री आदेशों की पालना बाबत्।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्रीमान के न्यायालय प्र0 सं0 27/2021 उनवान प्रभूलाल / रामकल्याण में जारी डिक्री दिनांक 2/3/21 की पालना में ग्राम देवली में नामान्तरकरण सं 408 दिनांक 09/12/22 को दर्ज किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल कर पालना कर दी गयी है। नकल जमाबंदी संलग्न है। इसमें कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

अतः पालना रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

तहसीलदार (भू0 अभि0)
तहसील सांगोद जिला कोटा

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

का नाम :- डोबड़ा
र हल्का :- दीगोद
भि.नि. :- सांगोद
ल :- साँगोद
:- कोटा

सम्वत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 137
खाता संख्या पुराना :- 121

ा उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

IC

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

नाम :- डोबड़ा
हल्का :- दीगोद
.नि. :- सांगोद
:- साँगोद
:- कोटा

सम्वत :- 2073 - 2076
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 137
खाता संख्या पुराना :- 121

कार का नाम:-
कन्हैयालाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/6 जाति- मीना सा.देह खातेदार
प्रभुलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/6 जाति- मीना सा.देह खातेदार
हेन हिस्सा-1/6 (पूर्ण खाता) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंड़िया शाखा KHANPUR (TAREJ)
मोतीलाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा- 1/6 जाति- मीना सा.देह खातेदार
रामकल्याण पुत्र भेरिया उर्फ़ भैरुलाल हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा.देह खातेदार
रामपाल पुत्र भेरिया उर्फ़ भैरुलाल हिस्सा- 1/4 जाति- मीना सा.देह खातेदार,

रा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
3	0.7200	चाही द्वितीय	0.7200	19.44		स्वीक्रत नामांतरकरण : 408 09/12/2022 न्याया. आदेश	
4	0.0100	गै.मु. चाह	0.0100			स्वीक्रत नामांतरकरण : 411 27/12/2022 रहननामा	
5	0.6400	चाही द्वितीय	0.6400	17.28			
36	0.0800	चाही द्वितीय	0.0800	2.16			
37	0.3400	चाही द्वितीय	0.3400	9.18			
46	0.3700	चाही द्वितीय	0.3700	9.99			
47	0.1400	चाही द्वितीय	0.1400	3.78			
148	0.0200	चाही द्वितीय	0.0200	0.54			
149	0.0100	चाही द्वितीय	0.0100	0.27			
150	0.1700	चाही द्वितीय	0.1700	4.59			
151	0.6300	चाही द्वितीय	0.6300	17.01			
152	0.0200	चाही द्वितीय	0.0200	0.54			
31	0.0400	चाही द्वितीय	0.0400	1.08			
32	0.0400	चाही द्वितीय	0.0400	1.08			
33	0.9000	चाही द्वितीय	0.9000	24.30			
कुल खसरे - 15	4.1300		4.1300	111.2400			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।